सर्वोच्च न्यायालय में दो नए न्यायाधीशों की नियुक्ति

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

हाल ही में न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह और न्यायमूर्ति आर. महादेवन को भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।

- न्यायमूर्ति सिंह **मणिपुर से** सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाले **पहले न्यायाधीश हैं।**
- इन नियुक्तियों के साथ सर्वोच्च न्यायालय में अब मुख्य न्यायाधीश सहित **न्यायाधीशों की संख्या 34** हो गई है।
    - संसद को विधि निर्माण द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शक्ति एवं संख्या में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है।

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश:

- सर्वोच्च न्यायालय में **भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI)** और **अधिकतम 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं।**
- **मुख्य न्यायाधीश और 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों** से मिलकर बना **सर्वोच्च न्यायालय का कॉलेजियम** न्यायिक नियुक्तियों के लिये ज़िम्मेदार होता है।
- **अनुच्छेद 124(2)** के तहत न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा **प्रधानमंत्री** की सलाह और मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों के परामर्श के आधार पर की जाती है।
- न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिये **कोई न्यूनतम आयु सीमा नहीं है** और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश **65 वर्ष की आयु** तक कार्य करने के पात्र होते हैं।
- सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते, विशेषाधिकार, छुट्टियाँ और पेंशन संसद द्वारा निर्धारित किये जाते हैं तथा यह भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं।

और पढ़ें: सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/sc-gets-two-new-judges,-first-from-manipur